स्वामी केशवानन्द
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 30.11.2009 को प्रातः 11:00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबंध मण्डल की 76 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :–

निम्नाकित सदस्य उपस्थित थे :–

1.	डॉ. प्रताप नारायण	अध्यक्ष
2.	डॉ. गोपाल सिंह भाद्राजून	सदस्य
3.	डॉ. के.एम.एल. पाठक	सदस्य
4.	डा0 रामदेव	सदस्य
5.	श्री परताराम सियाग	सदस्य
6.	डॉ. एम.पी. साहू	सदस्य
7.	डॉ. आर.एन. कच्छावा	सदस्य
8.	डॉ. जी.एन. परिहार	सदस्य
9.	डॉ. गोविन्द सिंह	सदस्य
10.	डॉ. आई.जे. गुलाठी	सदस्य
11.	डॉ. अजीत सिंह शेखावत	सदस्य
12.	श्री रामदेव गोयल, कुल सचिव	सदस्य सचिव

आमंत्रित सदस्य :–

श्री एल.एन. गहलोत, वित्त नियंत्रक

डा0 एस.एस. आचार्य, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उच्च शिक्षा, पशु पालन विभाग, निदेशक कृषि एवं संभागीय आयुक्त प्रबंध मण्डल की बैठक में भाग नही ले सकें ।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने सभी प्रबन्ध मण्डल में पधारे माननीय सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने नये मनोनीत सदस्यों डॉ. रामदेव, श्री परताराम सियाग एवं डा0 आई0जे0 गुलाठी का स्वागत किया साथ ही डॉ स्वरूप सिंह के द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की गई ।

एसकेराकृवि / बोम–76 / 2009-3 / 1124	75 वीं प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक **06.08.2009** के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि 75वीं प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक **06.08.2009** के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
एसकेराकृवि / बोम–76 / 2009-3 / 1125	75 वीं प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक **06.08.2009** के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि 75वीं प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक **06.08.2009** के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही की पुष्टि निम्न के साथ की जाएः– राकृवि / बोम–75 / 2009–2 / 1109 प्रकरण पर विस्तृत चर्चा किया गया और यह पारित किया गया कि सिर्फ डा0 के.एम.एल.पाठक के प्रकरण को विश्वविद्यालय के पेंशन रेग्यूलेशन 1990 एवं राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार पुनः परीक्षण किया जाएं । राकृवि / बोम–75 / 2009–2 / 1109(राकृवि / एसी–33 / 2009–2 / 54) प्रकरण पर विस्तृत चर्चा किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया कि ले0 कर्नल रवि गिरधर, ऑफिसर कमाण्डिग के प्रकरण को निरस्त किया जाता हैं । राकृवि / बोम–75 / 2009–2 / 1111 दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा कोर्स हेतु सम्बद्व की गई सभी संस्थाओं का संकाय अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण करवा कर अपनी पॉच पृष्ठ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और पारित किया गया कि संकाय अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जिन सम्बद्व संस्थाओं में कमियां हैं उनको इन कमियों के बारें में नोटिस दिया जाएं और एक महिने बाद पुनः उन संस्थाओं का निरीक्षण करवा कर रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखा जाएं साथ ही 25000 / – की राशि उन संस्थाओं से शास्ती के रूप में वसूल की जाएं ।

	राकृवि / बोम–75 / 2009–2 / 1119 प्रकरण पर विस्तृत चर्चा किया गया और यह पारित किया गया कि निजी सचिव कुलपति को 200 रूपये प्रतिमाह विशेष भत्ता देना बंद कर दिया जाए ।
एसकेराकृवि / बोम–76 / 2009-3 / 1126	माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों / अधिसूचना की पुष्टि करने बाबत् ।
	1. अधिसूचना क्रमांक सीओई / राकृवि / यू.एम. / 2009 / 867–885 दिनांक **08.09.2009.** 2. आदेश क्रमांक एफ / सामान्य / ग्रुप–2 / 09 / 1275–1375 दिनांक **11.09.2009** 3. आदेश क्रमांक प.631 / राकृवि / स्था / ग्रुप–2 / 09 / 592 दिनांक **26.10.2009** यह पारित (Resolved) किया गया कि कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों / अधिसूचना की पुष्टि की जाती हैं ।
एसकेराकृवि / बोम–76 / 2009-3 / 1127	विश्वविद्यालय शिक्षकों के सह–आचार्य एवं आचार्य पदों पर सी.ए.एस. में प्रमोशन हेतु साक्षात्कार शुरू करवाने बाबत् । प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और यह पारित (Resolved) किया गया कि जब तक राजस्थान सरकार से इस बाबत फण्ड प्राप्त नहीं होता तब तक सी.ए.एस योजना के अन्तर्गत पदौन्नति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाना सम्भव नहीं होगा ।
एसकेराकृवि / बोम–76 / 2009-3 / 1128	जोधपुर उच्च न्यायालय एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1242/2009 दिनांक 29.07.2009 के निर्देशानुसार सहायक आचार्य को सह आचार्य (Selection Grade) के पद पर पदनामित करने बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में लम्बित हैं एवं ड्यूकोर्स में चल रहा हैं । माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही कोई कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा ।
एसकेराकृवि / बोम–76 / 2009-3 / 1129	उपशासन सचिव, कृषि (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F.12(73)Agri.2/2009 dated 18.11.2009 द्वारा स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अध्यापकों (General Faculty/Librarians and Director Physical Education) के संशोधित वेतनमान जो दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी है को लागू करने बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि राजस्थान सरकार के

	आदेश को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अध्यापकों के लिये संशोधित वेतनमान अंगीकार किये जाते हैं ।
एसकेराकृवि / बोम– 76 / 2009-3 / 1130	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ. 27(8) आरबी / 2005 / 4869 दिनांक **05.09.2009** जिसमें उन्होंने स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम – **1987** के सेक्शन **29 (1) (a)** के तहत् नियमित कुलपति क चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में प्रबंध मण्डल के द्वारा एक सदस्य को मनोनीत किये जाने हेतु लिखा है पर विचार करने बाबत् । श्री गोपाल सिंह, माननीय सदस्य ने डा0 पंजाब सिंह का नाम मनोनीत करने हेतु सदन के सामने रखा जिस पर डा0 गोविन्द सिंह व अन्य माननीय सदस्यों ने भी सहमति जताई साथ ही माननीय सदस्य श्री परताराम सियाग एवं डा0 रामदेव ने डा0 आर.एस.परौदा एवं डा0 के.एन.नाग प्रस्तावित किये जिन पर अन्य सदस्यों की सहमति नहीं हुई । यह पारित (Resolved) किया गया कि Dr. Panjab Singh, Former D.G., ICAR & V.C., BHU PC - 1 Flat No. 803, ASSEL TOWER, M.G. Road, Gudgaon - 122002 का नाम नियमित कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति के लिये मनोनीत किया जाता हैं ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

30.11.09

(रामदेव गोयल)
कुल सचिव
एवं सदस्य सचिव

30/XI/09

(डॉ. प्रताप नारायण)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल